



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

263 / सं.प्र./स.प्र.वि.वि.नियामक/2023

प्र.

दिनांक 05/12/23

आदेश

प्रति

कुलसचिव,
गुप्त विश्वविद्यालय
भोपाल (म.प्र.)

विषय- वार्षिक सत्र वर्ष 2023-24 में संश्लिष्ट पदव्यवस्था की तुल्यता समीक्षा।

संदर्भ- विश्वविद्यालय का पत्र क्र. एसयू/200124/01 दिनांक 20.01.2023

—00—

कमिश्नर, शिक्षा, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 3(2)(क) एवं (द) में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2023-24 में संश्लिष्ट पदव्यवस्था हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट तुल्यता की समीक्षा सम्बन्धित निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा किया गी। समीक्षा के अन्तर्गत प्रस्तुतित तथ्यों/सूची के आधारेण आयोग के पत्र क्र. 2628 दिनांक 08/12/2023 के अध्याय में की गई है। विश्वविद्यालय में प्रस्तुतित तथ्यों/सूची हेतु अनुसूचित तुल्यता का विवरण निम्नप्रकार है-

वार्षिक सत्र 2023-24 में संश्लिष्ट पदव्यवस्था हेतु अनुसूचित तुल्यता का विवरण
[संक्षेप रूप में]

S.No	Faculty	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Proposed by Fee Review Committee		
				tuition Fee (85%)	Development Fee & OI other Miscellaneous Fee (15%)	Total Fee
1	Faculty of Pharmacy	B.PHARMA	5000	4250	750	5000
2		B.PHARMA	5000	4250	750	5000
3	Faculty of Arts	BA	2000	1700	300	2000
4		MA	2000	1700	300	2000

नोट- उपरोक्त तुल्यता समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रशासक एवं उनके साथ सहायक द्वारा प्रस्तुतित संबंधित शिथिल तथ्यों के अन्तर्गत प्रारम्भिक रूप में की गई है।

1. उपरोक्त समीक्षित तुल्यता में अंतर्गत एडमिशन प्रोसेस, शिक्षण पद्धति, परीक्षा प्रणालियाँ, कुलसचिव, संश्लिष्ट परीक्षा तुल्यता एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियाँ सहित तुल्यता समीक्षित है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुतित तुल्यता के अतिरिक्त विषय वाले वाले अन्य तुल्यता विवरण की जांच के अतिरिक्त नहीं होंगे। अन्य तुल्यता का लेखा भी तुल्यता से संबंधित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

निदेश-02

21/12/23

//02//

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संचालित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित व्यौरा पृथक से संचालित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. सत्र 2023-24 हेतु उपरोक्त प्रदोषित वित्तीय आंकड़ों एवं अकेसित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो तुरन्ती पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो शिक्षार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यता वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 अध्यासशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों की प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। शुल्क नियमन किये गये पाठ्यक्रमों में यदि आयोग की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है तो ऐसे पाठ्यक्रमों की आयोग से अनुज्ञा प्राप्त की जाये।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. के.पी.साहू)
सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

भोपाल, दिनांक

पु. क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2023

प्रतिनिधि-

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनाार्थ।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय,की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनाार्थ।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनाार्थ।
5. मार्ग काईल।

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल